आदेश पत्रक

(देखें नियम 129 अभिलेख हस्तक)

आदेश पत्रक–ता0.................... से .... अकबर तक

जिला–सिमडेगा, संख्या. SAR 07/2016-17

केस का प्रकार:– बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 बनाम रामहरी साव

आदेश की कम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	श्री अकबर मांझी पिता स्व0 हाबुड़ मांझी साकिन गोरारजोर थाना केरसई जिला–सिमडेगा ने आवेदन–पत्र दिया है कि निम्नलिखित जमीन को नाजायज तरीके से विपक्षी रामहरी साव पिता स्व0 गोपाल साव साकिन– गोरारजोर थाना केरसई जिला–सिमडेगा ने कब्जा कर लिया है। इस जमीन को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 के अंतर्गत वापस दिलाने का अनुरोध करते हैं।	20-7-16 21-10-16 18-11-16

ग्राम	खाता सं0–	प्लॉट सं0	रकबा
गोरारजोर	49	481	0·75
		494	0·18
		502	0·80
		3	कुल 1·73 एकड़

उभय पक्ष को सूचित करें। अभिलेख दिनांक 14-5-2016 को उपस्थापित करें।

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,

सिमडेगा।

अनुमण्डल कार्यालय, सिमडेगा।
(विधि शाखा)

एस0ए0आर0 वाद सं0–07/2016–17

अकबर मांझी

बनाम

रामहरि साव

आदेश

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
13.9.25	प्रस्तुत वाद अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 अन्तर्गत भूमि वापसी वाद की कार्यवाही आवेदक अकबर मांझी, पिता–स्व0 हाकुड़ मांझी, साकिन–गोरारजोर, थाना–केरसई, जिला–सिमडेगा के आवेदन पर प्रारंभ किया गया। आवेदक ने लिखा है कि विपक्षी रामहरि साव, पिता–स्व0 गोपाल साव, साकिन–गोरारजोर, थाना–केरसई, जिला–सिमडेगा ने अवैध तरीके से उनकी रैयती भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। जिसे बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के तहत् वापस दिलवाने का अनुरोध किया हैं। वाद सं0–07/2016–17 के अनुसार प्रश्नगत् भूमि की विवरणी निम्नवत हैं:–	

मौजा	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा
गोरारजोर	49	481	0.75 एकड़
		494	0.18 एकड़
		502	0.80 एकड़
			1.73 एकड़

वाद की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए अंचल अधिकारी, केरसई को इस न्यायालय के पत्रांक–155(ii)/विधि, दिनांक 12.03.2019 द्वारा उपर्युक्त अंकित भूमि से संबंधित प्रतिवेदन की मांग की गई। अंचलाधिकारी, केरसंई के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हेाता है कि उभय पक्षों को न्यायालय में संबंधित वाद की सुनवाई हेतु उपस्थित होने के लिए आदेशित किया जाता रहा है। दिनांक 05.11.2024 से अबतक उभय पक्षों के द्वारा अधिवक्ताओं के माध्यम से हाजरी पड़ी और ना ही उभय पक्ष व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में सशरीर उपस्थित हो सके। ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्षों को बिहार अनुसूचित क्षेत्र विनियम, 1969 के वाद की सुनवाई में

व्यक्तिगत रूप से अभिरूचि नहीं हैं। इनकी मनसा शायद न्यायालय के समय को बर्बाद करने का हैं। ऐसे स्थिति में वाद सं0–07/2016–17 को संचिकास्त किया जा सकता हैं। फिर भी यदि आवेदक की इच्छा हो तो संबंधित वाद को न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु आवेदन पत्र समर्पित करते हुए अनुरोध कर सकते हैं।

लेखापित एवं संशोधित।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
सिमडेगा।

Digitally signed by Aruna kumari
Date: 2025.10.15 17:16:10 +05:30
Location: 10.120.189.80